निर्णय: 25.5.17

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 RT Act का बावत आराजी ख.नं. 2841 रकबा 31 एकड़, 2842 रकबा 0.86 एकड़, 3161 रकबा 0.98 एकड़ वाके ग्राम बालेटा तहसील अलवर के 1/3 भाग मे कच्चा, पक्का निर्माण कर कब्रस्तान व मरघट कायम ना करे तथा वादीगण के कब्जे एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे तथा वादीगण को उक्त आराजी में कच्ची पक्की मेड बनाने मे कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे बाबत पेश किया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 13 उपस्थित आए, प्रतिवादीगण की ओर से प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC पेश किया, जिसका [illegible] इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23-09-09 को प्रा-पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रा॰ पत्र आदेश 7 नियम 11 जा॰ दी॰ स्वीकार
किया गया तथा वादीगण का वाद खारिज किया
गया।
वादीगण ने इस आदेश की अपील की माननीय
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने निर्णय
दि॰ 19.10.12 को अपील स्वीकार करते हुए इस
न्यायालय का निर्णय व डिक्री दि॰ 23.9.2009 निरस्त
किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि
विवादित आराजी का मौके पर निरीक्षण करे। कारवाई
तथा यदि मरघट के उपयोग में उसका कोई हिस्सा
आ रहा है तो उस पर विचार करते हुए दोनो पक्षो को
पुन: सुनकर नियमानुसार पुन: निर्णय पारित करे।
~~पत्रावली~~ पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील
प्राधिकारी अलवर निर्णय के साथ पेश हुई। पक्षकारान
को नोटिस जारी किए गए, सरकारी पैरोकार से
मौका रिपोर्ट ~~ली~~ ली गई. रिपोर्ट अनुसार दिनांक 18/4/17
को बहमराह पटवारी बालेटा/ ILR पूनखर के साथ
उपस्थित मौतबीरान के समक्ष खसरा नम्बर 3161
पर पंहुचकर मौका पर्चा तैयार किया, खसरा नम्बर
3161 रकबा 0.98 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071-74
के खाता सं॰ 244 दुर्गा बेवा हाबू, सोहनलाल, रामस्वरूप
जगदीश पि॰ हाबू स॰ भा॰ हि॰ 4/5 रामपाल पुत्र हाबू
साकिन SBI बालेटा मु॰ बि॰ क॰ हि॰ 1/15 आनन्दा पुत्र
मांगल्या माली सा॰ भण्डोडी खाते॰ साकिन SBI बालेटा
मु॰ बि॰ क॰ हि 1/3 मु॰ कोशल्या बेवा ढूण्डा कौशलाल
शिम्भुदयाल पि॰ ढूण्डा साकिन SBI बालेटा मु॰ बि॰ क
~~स्थना~~ स॰ भा॰ हिस्सा 1/3 माली सा॰ भण्डोडी खातेदार दर्ज
रिकॉर्ड है। इस खसरा नं॰ की किस्म बंजड तथा रकबा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	0-38 हैक्टर है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2063-64 मे 0-30 है० पर गेहूँ की फसल एवं 0-08 है में मरघट दर्ज है। मौके पर भी इसमें 10x10 वर्ग फीट में मुर्दा जलानें के निशानात मिले, इसी खसरा नम्बर मे एक पीपल का पेड़ व उसके पास एक मिट्टी का घड़िया, एक स्टील की टोकनी व गिलास तथा भस्म के रुप मुर्दा जलाने के निशानात पाए गए। उपस्थित मोतबिरान ने भी काफी वर्षों से इस स्थान पर मुर्दा जलाने तथा श्मशान होने की पुष्टि की। आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बालेरा मे पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 4 लगायत 12 उप०/ पक्षकारान ने उप० होकर राजीनामा प्रा. पत्र पेश किया। वादीगण ने स्वयं उप० होकर लोक अदालत की भावना से उक्त भूमि श्मशान भूमि के नाम समर्पित करने हेतु सहमति जताई व प्रतिवादीगण ने उक्तानुसार राजीनामा करते हुए वाद समाप्त / खारिज करने की सहमति दी। अतः राजीनामा प्रा. पत्र के आधार पर ~~वाद~~ वादी का वाद मे कार्यवाही Drop की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो सहायक कलक्टर, अलवर (राज०)	